हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा

अधिसूचना

शिमला, 26 अगस्त, 2009

संख्या वि0स0–लैज–गवरनमैंट बिल/1/38/2009.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2009 (2009 का विधेयक संख्यांक 22) जो आज दिनांक 26 अगस्त, 2009 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/–
(गोवर्धन सिंह),
सचिव।

———

2009 का विधेयक संख्यांक 22

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2009

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :––

1. **संक्षिप्त नाम.**––इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) अधिनियम, 2009 है।

2. **धारा 3 का संशोधन .**––हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 (1971 का 4), (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) में शब्द ''पन्द्रह हजार रुपए'' के स्थान पर ''इकतीस हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

3. **धारा 4 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) में ''ग्यारह हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''अट्ठाईस हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

4. **धारा 8 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक में ''सात हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''दस हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

निर्वाह व्यय और उन यथेष्ठ खर्चों, जोकि माननीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को जन प्रतिनिधि के रूप में जनजीवन की विभिन्न मांगों के कारण उपगत करने पड़ते हैं, में तीव्र वृद्धि के कारण उनके विद्यमान वेतन और दूरभाष भत्ते को बढ़ाना आवश्यक समझा गया है। इसलिए, हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 में संशोधन किया जाना आवश्यक समझा गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मन्त्री।

शिमला .....

तारीख ..... अगस्त, 2009

————————

वित्तीय ज्ञापन

विधयेक के खण्ड 2, 3 और 4 के अधिनियमित किये जाने पर राजकोष से प्रतिवर्ष लगभग 4.68 लाख रुपए का अतिरिक्त आवर्ती व्यय होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[जी0ए0डी0 फाईल नं0 जी0ए0डी0–सी (डी) 6–1/2006]

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2009 की विषय–वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन, विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती हैं।

————————

इस संशोधन विधेयक द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वोल हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 (1971 का 4) के उपबन्धों के उद्धरण।

अध्यक्ष का वेतन आदि.––(1) अध्यक्ष प्रतिमाह पन्द्रह हजार रुपये की दर से वेतन और अपनी सम्पूर्ण अवधि के दौरान प्रत्येक दिन के लिए हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैन्शन) अधिनियम, 1971 की धारा 4 की उप–धारा (1) के खण्ड (ii) में यथा विनिर्दिष्ट दर पर भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

(1–अ) अध्यक्ष प्रतिमास पांच हजार रुपये की दर से प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

(2) अध्यक्ष को उसकी पदावधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा शिमला में निःशुल्क सुसज्जित गृह दिया जाएगा जिसके अनुरक्षण का प्रभार राज्य सरकार वहन करेगी। राज्य सरकार उसे उसके अध्यक्ष न रहने की तारीख से पन्द्रह दिन से अनधिक की अवधि तक गृह का निःशुल्क अधिभोगी बने रहने की अनुज्ञा भी दे सकेगी।

'उपाध्यक्ष का वेतन आदि.–– (1) उपाध्यक्ष प्रतिमाह ग्यारह हजार रुपये की दर से वेतन और अपनी सम्पूर्ण अवधि के दौरान, प्रत्येक दिन के लिए, हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैन्शन) अधिनियम, 1971 की धारा 4 की उप–धारा (1) के खण्ड (ii) में यथा विनिर्दिष्ट दर पर, भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

(1–अ) उपाध्यक्ष प्रतिमास पांच हजार रुपये की दर से प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

(2) उपाध्यक्ष को उसकी पदावधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा शिमला में निःशुल्क सुसज्जित गृह दिया जाएगा जिसके अनुरक्षण का प्रभार राज्य सरकार वहन करेगी या उसके बदले में उसे तीन सौ रुपये प्रतिमाह से अनधिक ऐसा भत्ता जो राज्य सरकार नियत करे, सन्दत्त किया जाएगा। राज्य सरकार उसे उसके उपाध्यक्ष न रहने की तारीख से पन्द्रह दिन से अनधिक की अवधि तक गृह का निःशुल्क अधिभोगी बने रहने की अनुज्ञा भी दे सकेगी।

स्पष्टीकरण.––उपाध्यक्ष किसी संदाय के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होगा, यदि उसका निवास के लिए आबंटित गृह का मानक किराया एक सौ पच्चास रुपये से अधिक हो जाता है।

8. टैलीफोन की निःशुल्क स्थापना.––(1) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, प्रत्येक, अपने निर्वाचन के भीतर किसी स्थान पर या अपने स्थायी निवास स्थान पर जैसा कि वह विनिर्दिष्ट करे एक टैलीफोन स्थापित कराने का, यदि ऐसे स्थान पर, ऐसी सुविधा साधारण दरों और कोई अतिरिक्त उपगत किए बिना उपलब्ध है, हकदार होगा, और स्थापना के स्थान को इस प्रकार विनिर्दिष्ट किए जाने के पश्चात् ऐसे टैलीफोन की प्रथम स्थापना का प्रचार, प्रतिभूति निक्षेप और वार्षिक किराया राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा और अन्य जैसे कि स्थानीय या वाह्य कालों से सम्बन्धित व्यय यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष संदत्त किए जाएंगेः

परन्तु यह कि यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को जो इस उप–धारा के अधीन टैलीफोन (दूरभाष) स्थापित करता है, सात हजार रुपये प्रतिमास टैलीफोन भत्ता संदत्त किया जाएगा :

परन्तु यह और कि यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उन्हें प्रदान की गई टैलीफोन सुविधा का उपयोग उनके, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष न रहने की तारीख से अधिक से अधिक पन्द्रह दिन तक की अवधि तक करते रह सकेंगे।

(2) ऐसे सभी व्यय, जो उप–धारा (1) के अधीन स्थापित टैलीफोन के सम्बन्ध में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा देय है, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा सीधे नकद रूप से संदत्त किए जाएंगे और यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वह राज्य सरकार द्वारा, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, को शोधय किसी राशि के विरुद्ध राज्य सरकार के द्वारा समायोजित किया जा सकेगा।

————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 22 of 2009

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY SPEAKER'S AND DEPUTY SPEAKER'S SALARIES (AMENDMENT) BILL, 2009

(AS PASSED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries, Act, 1971 (Act No. 4 of 1971).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows.—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries (Amendment) Act, 2009.

2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971 (4 of 1971) (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section (1), for the words "fifteen thousand rupees", the words "thirty one thousand rupees" shall be substituted.

3. Amendment of section 4.—In section 4 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "eleven thousand rupees", the words "twenty eight thousand rupees" shall be substituted.

4. Amendment of section 8.—In section 8 of the principal Act, in sub-section (1), in the first proviso, for the words "seven thousand rupees", the words "ten thousand rupees" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Due to sharp increase in the cost of living and the considerable expenses which Hon'ble Speaker and Deputy Speaker, as a public representative has to incur on account of various demands of the public life, it has been considered necessary to increase their existing salaries and telephone allowance. This has necessitated the amendments in the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

PREM KUMAR DHUMAL,
Chief Minister.

Shimla :
The ..... August, 2009

FINANCIAL MEMORANDUM

Clauses 2, 3 and 4 of the Bill, when enacted, will entail additional recurring expenditure out of the State Exchequer to the tune of Rs. 4.68 lakhs per annum approximately.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[GAD File No. GAD-C(D)(6)-1/2006]

The Governor of Himachal Pradesh after having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salarties (Amendment) Bill, 2009, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the State Legislative Assembly.

_____

Sections to be effected due to the proposed amendments in the Himachal Pradesh Legislative assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971 (Act No. 4 of 1971).

3. Salary etc. of the Speaker.—(1) The Speaker shall be entitled to receive a salary at the rate of fifteen thousand rupees per mensem and an allowance for each day during the whole of his term at the same rates as are specifed in clause (ii) of sub-section (1) of section 4 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971.

(1-A) The Speaker shall be entitled ro receive compensatory allowance at the rate of five thousand rupees per mensem].

(2) The Speaker during the term of his office shall be provided by the State Government, a free furnished house at Shimla, the maintenance charges of which shall be borne by the State Government may also all him to continue in free occupation of the house for a period not exceeding fifteen days from the date of his ceasing to be the Speaker.

[1][3-A. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]

4. Salary etc. of the Deputy Speaker.—(1) The Deputy Speaker shall be entitled to receive a salary at the rate of eleven thousand rupees per mensem and an allowance for each day during the whole of his term at the same rates as are specified in clause (ii) of sub-section (1) of section 4 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971.

(1-A) The Deputy Speaker shall be entitled to receive compensatory allowance at the rate of five thousand rupees per mensem].

(2) The Deputy Speaker during the term of his office shall be provided by the State Government, a free furnished house at Shimla, the maintenance charges of which shall be borne by the State Government or in lieu thereof he shall be paid such allowance not exceeding three hundred rupees per mensem as the State Government may fix. The State Government may also allow him to continue in free occupation of the house for period not exceeding fifteen days from the date of his ceasing to be the Deputy Speaker.

Explanation.—The Deputy Speaker shall not become liable personally for any payment in case the standard rent of the house allotted to him for residence exceeds one hundred and fifty rupees per mensem.

8. Free installation of the telephone.—(1) The Speaker and the Deputy Speaker shall each be entitled to have a telephone installed at any place within his constituency or at his permanent place of residence, if such facility is available at such place at normal rates and without incurring any additional cost, as may be specified by him and after the place of installation is so specified, the charges of first installation of, security deposit and annual rent for, such telephone

shall be borne by the State Government and all other expenses such as those relating to local and outside calls shall be paid by the Speaker or the Deputy Speaker, as the case may be :

Provided that the Speaker or Deputy Speaker, as the case may be, who installs a telephone uder this sub-section shall be paid a telephone allowance at the rate of seven thousand rupees per mensem.] :

Provided further that the Speaker or the Deputy Speaker, as the case may be, may continue to avail himself of the facility of telephone provided to him for a period not exceeding 15 days from the date of his ceasig to be the Speaker or the Deputy Speaker, as the case may be].

(2) All expenses which are payable by the Speaker or the Deputy Speaker in relation to the telephone installed under sub-section (1) shall be paid by the Speaker or the Deputy Speaker, as the case may be, directly in cash and if it is not so done, the same may be adjusted by the State Government against any amount due to the Speaker or the Deputy Speaker, as the case may be, from the State Government.

———